

[दि बाईलेटरल नेटिंग आफ क्वालिफाइड फाइनेंसियल कान्ट्रेक्ट्स बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020

भारतीय वित्तीय बाजारों में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने और प्रतिद्वंदता का संवर्धन करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 है ।

संक्षिप्त नाम ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासन" से प्रशासन के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अधिस्थगन का अधिरोपण, पुनर्संगठन, परिसमापन, समापन (किसी भी अनिवार्य परिसमापन प्रक्रिया या कार्यवाही सहित) दिवाला, शोधन अक्षमता, लेनदारों के साथ समझौता, प्रापक, संरक्षकता या पूर्वगामी में से किसी प्रकृति की या उसके परिणामस्वरूप कोई अन्य कार्यवाही भी है, जो किसी अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आरंभ या प्रारंभ की गई है ; 5

(ख) "प्रशासन व्यवसायी" से समापक, प्रापक, न्यासी, संरक्षक, समाधान वृत्तिक या कोई अन्य व्यक्ति या अस्तित्व, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रशासन के अध्यक्षीन किसी पक्षकार के कार्यों का प्रशासन करता है ; 10

(ग) "प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या कोई भी ऐसा विनियामक प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) "बैंककारी संस्था" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,— 15

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ड.) में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक ; और 1934 का 2

(ii) कोई अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे ।

(ड) "क्लोज-आउट नेटिंग" से किसी व्यतिक्रमी पक्षकार के साथ किसी अर्हित वित्तीय संविदा के अधीन बाध्यता के समापन वाली और तत्पश्चात् धारा 6 में यथावर्णित एकल शुद्ध संदेय या प्राप्य में सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिस्थापन मूल्यों के तत्पश्चात् संयोजन की प्रक्रिया अभिप्रेत है ; 20

(च) "सांपार्श्विक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) किसी खाते में किसी भी मुद्रा में जमा किया गया नकद रूप में धन या धन के प्रतिसंदाय के लिए उसी प्रकार का दावा, जैसे कोई धन बाजार निक्षेप ; 25

(ii) किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां, जिसके अंतर्गत ऋण और साम्या प्रतिभूतियां भी हैं ;

(iii) प्रत्याभूतियां, प्रत्यय पत्र और प्रतिपूर्ति की बाध्यताएं ; और

(iv) किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सांपार्श्विक के रूप में सामान्य रूप से प्रयुक्त कोई भी आस्ति ; 30

(छ) "सांपार्श्विक ठहराव" से किसी नेटिंग करार या एक या अधिक अर्हित वित्तीय संविदाएं, जिनको नेटिंग करार लागू होता है, से संबंधित या उसके भाग के रूप में कोई मार्जिन, सांपार्श्विक या प्रतिभूति ठहराव या अन्य प्रत्यय वृद्धि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं— 35

(i) गिरवी या सांपार्श्विक में प्रतिभूतिहित का कोई अन्य रूप, चाहे कब्जाहक हो या बेकब्जाहक ;

(ii) कोई हक अंतरण सामपाश्विक ठहराव ; और

(iii) किसी पक्षकार द्वारा या उसको एक या अधिक संविदाओं के पक्षकार को उन अर्हित वित्तीय संविदाओं की बाबत कोई प्रत्याभूति, प्रत्यय पत्र या प्रतिपूर्ति बाध्यता ; या कोई नेटिंग करार ;

5 (ज) "दिवाला पक्षकार" से किसी अर्हित वित्तीय संविदा का ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जिसके संबंध में भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य देश की विधि के अधीन दिवाला, परिसमापन, समापन, समाधान, प्रशासन या उसी प्रकार की कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं जिसके अंतर्गत उसका निगमन भी है ;

10 (झ) "मार्जिन" से क्रय, विक्रय या किसी अर्हित वित्तीय संविदा के किए जाने के लिए परफार्मेंस बंधपत्र के रूप में अपेक्षित सांपाश्विक की रकम, रूप और प्रकार अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत—

15 (अ) ऐसा आरंभिक मार्जिन भी है, जो क्लोज-आउट के दौरान अर्हित वित्तीय संविदा के बाजार में प्रचलित मूल्य में भावी परिवर्तनों से उत्पन्न होने के लिए संभाव्य कार्यक्षम भावी अनाश्रयता से संव्यवहार करने वाले पक्षकारों को संरक्षा प्रदान करता है और प्रति पक्षकार व्यतिक्रम की दशा में स्थिति को प्रतिस्थापित करता है ; और

20 (आ) रूपभेद मार्जिन भी है, जो वर्तमान अनाश्रयता से संव्यवहार करने वाले पक्षकारों को संरक्षा प्रदान करता है, जो संव्यवहार निष्पादित करने के पश्चात् अर्हित वित्तीय संविदा के बाजार तक पहुंच मूल्य में परिवर्तनों से किसी पक्षकार द्वारा पहले ही उपगत किया जा चुका है ;

25 (अ) "नेटिंग" से अर्हित वित्तीय संविदाओं के पक्षकारों के बीच पारस्परिक व्यवहार पर आधारित या उससे उत्पन्न सभी दावों या बाध्यताओं के मुजरे या समायोजन के पश्चात् नेट क्लेम या बाध्यताओं का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत क्लोज-आउट नेटिंग भी है ;

(ट) "नेटिंग करार" से ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसमें नेटिंग के लिए उपबंध है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) कोई करार, जो दो या अधिक नेटिंग करारों के अधीन शोध्य रकमों की नेटिंग के लिए उपबंध करता है ; और

30 (ii) किसी नेटिंग करार से संबंधित या उसका भागरूप कोई सांपाश्विक करार ;

(ठ) "गैर दिवाला पक्षकार" से किसी अर्हित वित्तीय संविदा का ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जो दिवाला पक्षकार नहीं है ;

35 (ड) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ढ) "अर्हित वित्तीय संविदा" से धारा 4 के खंड (क) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अर्हित वित्तीय संविदा अभिप्रेत है ;

(ण) "अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई बैंककारी संस्था या कोई गैर बैंककारी कंपनी या ऐसी अन्य वित्तीय संस्था, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन या नीतिपरक पर्यवेक्षण के अध्याधीन है ;

(ii) कोई व्यक्ति, भागीदारी फर्म, कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति या निगमित निकाय, चाहे भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य देश की विधि के अधीन निगमित हो और इसके अंतर्गत कोई भी अंतरराष्ट्रीय या प्रादेशिक विकास बैंक या अन्य अंतरराष्ट्रीय या प्रादेशिक संगठन भी है ;

(iii) कोई बीमा या पुनःबीमा कंपनी, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमन या नीतिपरक पर्यवेक्षण के अध्याधीन है ;

(iv) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित कोई पेंशन निधि ;

(v) अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियमित वित्तीय संस्था ; और

(vi) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन सुसंगत प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अस्तित्व ;

(त) "अनुसूची" से इस अधिनियम की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची अभिप्रेत है ;

(थ) "हक अंतरण सांपार्श्विक करार" से सांपार्श्विक को हक के अंतरण पर, चाहे प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा हो या प्रतिभूति के रूप में हो, आधारित किसी नेटिंग करार से संबंधित सांपार्श्विक या प्रतिभूति ठहराव का अंतर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विक्रय और पुनः क्रय करार, प्रतिभूति पर उधार करार, प्रतिभूतियां, पुनः क्रय या विक्रय करार या कोई अनियमित गिरवी भी हैं ;

2. उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, कंपनी अधिनियम, 2013, पेंशन निधि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमः उन अधिनियमितियों में हैं ।

5

10

1999 का 41

2013 का 23

15

20

25

30

1934 का 2

1938 का 4

1949 का 10

1956 का 42

1970 का 5

1980 का 40

1992 का 15

1999 का 42

35

1999 का 41

2007 का 51

2013 का 18

2013 का 23

2016 का 31

अध्याय 2

अधिनियम का लागू होना

3. इस अधिनियम के उपबंध अर्हित वित्तीय बाजार भागीदारों के बीच द्विपक्षीय आधार पर, चाहे किसी नेटिंग करार के अधीन हो या अन्यथा, किए गए किसी अर्हित वित्तीय संविदा को लागू होंगे, जहां ऐसे भागीदारों में कम से कम एक भागीदार पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा विनियमित कोई अस्तित्व होगा ।

अधिनियम का लागू होना ।

4. सुसंगत प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा,—

प्राधिकारी की शक्तियां ।

(क) उसके द्वारा विनियमित किसी भी द्विपक्षीय करार या संविदा या संव्यवहार या संविदा के प्रकार को अर्हित वित्तीय संविदा के रूप में अभिहित कर सकेगा :

10

परंतु इस खंड के अधीन इस प्रकार अभिहित संविदा के अंतर्गत ऐसी संविदा नहीं होगी,—

(i) जो ऐसे पक्षकारों के बीच ऐसे निबंधनों पर की गई है, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; या

(ii) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार बहुपक्षीय आधार पर की गई है ;

1956 का 42 15
2007 का 51

(ख) उसके द्वारा विनियमित किसी भी अस्तित्व को अर्हित वित्तीय संविदा में व्यवहार करने के लिए किसी अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

20

5. (1) अर्हित वित्तीय संविदा की नेटिंग, वहां प्रवर्तनीय होगी, जहां—

नेटिंग की प्रवर्तनीयता ।

(क) ऐसी संविदा नेटिंग करार के निबंधनानुसार किसी नेटिंग करार के साथ की गई है :

परंतु किसी नेटिंग करार में किसी भी अनर्हित वित्तीय संविदा का सम्मिलित किया जाना ऐसे करार के अधीन अर्हित वित्तीय संविदा के नेटिंग की प्रवर्तनीयता को अविधिमान्य नहीं करेगा ; या

25

(ख) ऐसी संविदा, धारा 6 के उपबंधों के अनुसार किसी नेटिंग करार के बिना की गई है ।

(2) कोई अर्हित वित्तीय संविदा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण शून्य नहीं होगी और कभी भी शून्य या अप्रवर्तनीय हुई नहीं समझी जाएगी ।

30

(3) अर्हित वित्तीय संविदा की क्लोज-आउट नेटिंग किसी दिवाला पक्षकार के विरुद्ध और जहां कहीं लागू हो, किसी पक्षकार के लिए सांपार्श्विक या प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाले किसी प्रत्याभूतिदाता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी तथा निम्नलिखित द्वारा प्रभावित नहीं की जाएगी या रोकी नहीं जाएगी या अन्यथा सीमित नहीं की जाएगी—

35

(i) किसी प्रशासन व्यवसायी की नियुक्ति या उसकी नियुक्ति के लिए किसी

आवेदन द्वारा ;

(ii) प्रशासन से संबंधित विधि के किसी उपबंध के लागू होने के द्वारा ;
या

(iii) विधि के किसी अन्य उपबंध द्वारा, जो किसी दिवाला पक्षकार को लागू हो सके ।

(4) जहां कोई अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार प्रशासन के अध्यक्षीन है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किए गए या जारी—

(i) किसी रोक आदेश, व्यादेश, परिवर्जन, अधिस्थगन या उसी प्रकार की कार्यवाहियां या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी अन्य आदेश के ; या

(ii) न्यायनिर्णयन या विघटन या परिसमापन या समाधान या दिवालापन के किसी आदेश के; या

(iii) किसी नियम, विनियम, स्कीम, निदेश, मार्गदर्शन, परिपत्र या आदेश के, होते हुए भी, क्लोज-आउट नेटिंग लागू होगी और उसमें अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन क्लोज-आउट नेटिंग की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगी ।

(5) इस अधिनियम के अधीन क्लोज-आउट नेटिंग के अनुसार संदेय रकम या किए गए अन्य दावे अंतिम, अप्रतिसंहरणीय और किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकारों तथा प्रशासन में पक्षकार के प्रशासन व्यवसायी पर आबद्धकर होंगे ।

अध्याय 3

क्लोज-आउट नेटिंग का आह्वान

क्लोज-आउट
नेटिंग का
आह्वान ।

6. (1) क्लोज-आउट नेटिंग का प्रारंभ, किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की बाबत किसी व्यतिक्रम की दशा होने पर या ऐसे पर्यवसान की दशा में, जो नेटिंग करार में यथाविनिर्दिष्ट स्वतः आने वाली कतिपय परिस्थितियों में हो, किसी अर्हित वित्तीय संविदा के दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर किया जा सकेगा :

परंतु जहां नेटिंग करार का कोई एक पक्षकार प्रशासन के अध्यक्षीन है, दिवाला, परिसमापन, समापन, प्रशासन या समाधान कार्यवाही के किसी पक्षकार अथवा ऐसी कार्यवाही के प्रशासन व्यवसायी को पूर्व नोटिस देना या उसकी सहमति अपेक्षित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "व्यतिक्रम की दशा" से किसी अर्हित वित्तीय संविदा की बाध्यताओं का संदाय करने, परिदान करने या पूरा करने में असफलता अथवा शोधन अक्षमता या कोई अन्य ऐसी दशा अभिप्रेत है जिस पर करार के पक्षकार सहमत हों ; और

(ii) "पर्यवसान दशा" से नेटिंग करार में वर्णित कोई ऐसी दशा होना अभिप्रेत है, जो उस करार के अधीन एक या दोनों पक्षकारों को सुसंगत संव्यवहार के पर्यवसान करने का अधिकार दे देती है ।

(2) किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अर्हित

वित्तीय संविदा के अधीन एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पूरी की जाने वाली सभी बाध्यताओं को एकल शुद्ध रकम तक कम किया जाए या प्रतिस्थापित किया जाए, जिसका निम्नलिखित प्रभाव होगा, अर्थात् :-

5 (क) किसी एक या अधिक ऐसी अर्हित वित्तीय संविदाओं के, जिसको नेटिंग करार लागू होता है, अधीन या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी वर्तमान या भावी संदाय या परिदान अधिकारों या बाध्यताओं का पर्यवसान, समापन या त्वरित किया जाना ;

10 (ख) खंड (क) के अधीन पर्यवसित, समाप्त या त्वरित प्रत्येक अधिकार और बाध्यता या अधिकारों और बाध्यताओं के समूह की बाबत क्लोज-आउट मूल्य, बाजार मूल्य, समापन मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य का परिकलन या प्राक्कलन और ऐसे प्रत्येक मूल्य का किसी एकल मुद्रा में संपरिवर्तन ; और

(ग) खंड (ख) के अधीन, एक पक्षकार की दूसरे पक्षकार को शुद्ध अतिशेष के बराबर रकम का संदाय करने की बाध्यता को उत्पन्न करने वाले, परिकल्पित मूल्यों के शुद्ध अतिशेष का अवधारण, चाहे मुजरा के द्वारा हो या अन्यथा ।

15 (3) सांपाश्विक की वसूली, विनियोग या परिसमापन की अपेक्षा करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और पक्षकारों द्वारा सिवाय अन्यथा सहमति के किसी सांपाश्विक ठहराव के अधीन सांपाश्विक की वसूली, विनियोग या परिसमापन किसी पक्षकार, व्यक्ति या अस्तित्व को पूर्व सूचना या उनकी सहमति के बिना प्रभावी नहीं होगा ।

20 (4) क्लोज आउट नेटिंग, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि के प्रति या किसी अन्य विधि में, जिसके अनुसरण में कोई अर्हित वित्तीय बाजार सहभागी निगमित किया गया है, गठित किया गया है या विनियमित किया गया है, अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सभी अर्हित वित्तीय बाजार सहभागियों को लागू होगी, जो किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार हैं ।

25 7. (1) जहां अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार किसी नेटिंग करार में प्रविष्ट होते हैं, क्लोज आउट नेटिंग के अधीन संदेय रकम का अवधारण पक्षकारों द्वारा किए गए नेटिंग करार के निबंधनानुसार किया जाएगा ।

शुद्ध रकम ।

30 (2) किसी नेटिंग करार की अनुपस्थिति में जहां किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार क्लोज आउट नेटिंग के अधीन संदेय शुद्ध रकम के संबंध में सहमत होने में असफल होते हैं तो ऐसी राशि का अवधारण माध्यस्थम् के माध्यम से किया जाएगा ।

अध्याय 4

प्रशासन व्यवसायी की शक्तियों की सीमाएं

8. प्रशासनिक व्यवसायी निम्नलिखित को प्रभावहीन नहीं करेगा या प्रभावहीन करने की ईप्सा नहीं करेगा,—

35 (क) किसी दिवाला पक्षकार और गैर दिवाला पक्षकार के बीच किसी नेटिंग करार के अधीन या उसके संबंध में नकद, सांपाश्विक या किसी अन्य हित का अंतरण, प्रतिस्थापन या विनिमय ; या

प्रशासन व्यवसायी की शक्तियों की सीमाएं ।

(ख) दिवाला पक्षकार द्वारा और गैर दिवाला पक्षकार द्वारा किसी नेटिंग करार के अधीन या उसके संबंध में किसी अधिमान का गठन करने के आधार पर, जिसके अंतर्गत कपट पूर्ण अधिमान या न्यून मूल्य पर, जिसके अंतर्गत दिवाला पक्षकार द्वारा किसी गैर दिवाला पक्षकार को संदेह अवधि के दौरान अंतरण है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संदेह अवधि" से दिवाला और शोधन 5
अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 43 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि और 2016 का 31
'अधिमान संव्यवहार' से उस संहिता की धारा 46 की उपधारा (1) में "न्यून मूल्य
संव्यवहार" अभिप्रेत है।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

अनुसूचियों
संशोधन
शक्ति।

के
की

9. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में वर्धन कर सकेगी या अन्यथा संशोधन कर सकेगी और तत्पश्चात्, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए गए जाने के 15
पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या इस बात पर सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं की 20
जानी चाहिए तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, उस परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि, अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस अधिनियम के
उपबंधों का अन्य
विधियों पर
अध्यारोही प्रभाव
होना।

10. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले किसी अन्य लिखित में उससे असंगत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए 25
भी अध्यारोही प्रभाव होगा।

कठिनाईयों को दूर
करने की शक्ति।

11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों : 30

परंतु कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची

[धारा 2(1)(ग), (त) और 9(1) देखें]

क्रम सं.	प्राधिकरण का नाम	अधिनियम संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक	1934 का 2
2.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	1992 का 15
3.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	1999 का 41
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	2013 का 23
5.	अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 के अधीन स्थापित अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण	2019 का 50

दूसरी अनुसूची
[धारा 6(4) और 9(1) देखें]

क्रम सं.	अधिनियमिति का नाम	अधिनियम संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934	1934 का 2
2.	बीमा अधिनियम, 1938	1938 का 4
3.	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	1949 का 10
4.	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955	1955 का 23
5.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956	1956 का 42
6.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	1970 का 5
7.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976	1976 का 21
8.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	1980 का 40
9.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992	1992 का 15
10.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999	1999 का 42
11.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999	1999 का 41
12.	संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	2007 का 51
13.	कंपनी अधिनियम, 2013	2013 का 18
14.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013	2013 का 23
15.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	2016 का 31

उद्देश्यों का कथन और कारण

नेटिंग, किसी द्विपक्षीय वित्तीय संविदा में दो प्रति पक्षकारों को व्यतिक्रम की दशा में एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को शोध्य एकल शुद्ध संदाय बाध्यता को अवधारित करने के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध दावों को प्रतिसंतुलित करने के लिए समर्थ बनाता है। द्विपक्षीय नेटिंग के लिए किसी विधिक रूप-रेखा के अभाव में बैंकों को सकल आधार पर और न कि शुद्ध आधार पर आधारित ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पाद संविदाओं के लिए किसी पक्षकार के लिए क्रेडिट एक्सपोजर को मापने के लिए विवश किया जाता है। इस स्थिति से बैंकों द्वारा, किसी प्रति पक्षकार के व्यतिक्रम की दशा में, अनुत्पादक रूप से अत्यधिक मात्रा में पूंजी को फंसाने के अतिरिक्त वित्तीय बाजार में प्रत्यय जोखिम अरक्षितता और सुव्यस्थित जोखिम में अत्यधिक वृद्धि होती है। क्लोज आउट नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए असंदिग्ध विधिक रूप रेखा से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सकल से शुद्ध अरक्षितता की प्रत्यय अरक्षितता में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अरक्षितता पर सारभूत पूंजी बचत होगी और समग्र व्यवस्थित जोखिमों में कमी आएगी और इस प्रकार, वित्तीय स्थायित्व में योगदान होगा।

2. इसके अतिरिक्त, गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित ओटीसी व्युत्पादों के लिए मार्जिन के अधिरोपण के उभरते हुए वैश्विक मतैक्य के कारण भारत के लिए हमारी वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और नम्यता में सुधार करने के लिए ओटीसी व्युत्पादों हेतु मार्जिन प्रणाली के एक्सचेंज को कार्यान्वित करना आवश्यक हो गया है। सकल आधार पर ऐसे मार्जिन से ओटीसी व्युत्पाद बाजार अत्यधिक मंहगा हो जाएगा और उससे ओटीसी व्युत्पाद बाजार गंभीर रूप से विध्वंश हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्युत्पाद कुल व्युत्पाद बाजार के महत्वपूर्ण भाग के लिए कारण होता है। द्विपक्षीय नेटिंग पर विधि, दक्ष मार्जिनिंग के लिए महत्वपूर्ण समर्थकार होगी। पूंजी बचत से बैंक भारत में कारबार के लिए हेजिंग इंस्ट्रुमेंट प्रस्तावित करने में कीमत दक्षता प्रदान करने हेतु समर्थ होंगे और प्रत्यय व्यतिक्रम विनिमय बाजार के विकास के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट उत्प्रेरित होंगे। यह प्रत्याशा है कि वित्तीय संव्यवहारों की द्विपक्षीय नेटिंग पर विधि से भारत में वित्तीय बाजारों का विकास भी होगा।

3. अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है—

(क) केंद्रीय सरकार या पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा किसी भी द्विपक्षीय करार या संविदा या संव्यवहार या संविदा के प्रकार को अर्हित वित्तीय संविदा के रूप में अभिहित करना ;

(ख) किसी अर्हित वित्तीय संविदा की नेटिंग की प्रवर्तनीयता ;

(ग) क्लोज आउट नेटिंग का आह्वान, जिसका प्रारंभ किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की बाबत किसी व्यतिक्रम होने की दशा पर या ऐसे पर्यवसान की दशा में, जो नेटिंग करार में यथाविनिर्दिष्ट स्वतः आने वाली कतिपय परिस्थितियों में हो, किसी अर्हित वित्तीय संविदा के दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर

किया जा सकेगा ;

(घ) पक्षकारों द्वारा किए गए नेटिंग करार के निबंधनानुसार क्लोज आउट नेटिंग के अधीन संदेय शुद्ध रकम का अवधारण और किसी नेटिंग करार की अनुपस्थिति में, जहां किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार क्लोज आउट नेटिंग के अधीन संदेय शुद्ध रकम के संबंध में सहमत होने में असफल होते हैं तो ऐसी राशि का माध्यस्थम् के माध्यम से अवधारण ;

(ङ) प्रशासन व्यवसायी की शक्तियों पर कतिपय सीमाएं अधिरोपित करना ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 मार्च, 2020

निर्मला सीतारामन